न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द अग्रवाल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 09/2017

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
बाबुराम पि. पुनमा जाति मेघवाल निवासी आजोदर तहसील रानीवाडा जिला जालोर		1. श्री पुनमा पुत्र डुंगरा 2. श्रीमति कसुंबीदेवी पत्नि भीखाराम 3. श्रीमति लवगों पत्नि सवाराम जातियान मेधववाल निवासीयान आजोदर तहसील रानीवाडा 4. भुदराराम पिता सवाराम 5. देवाराम पि.सवाराम 6. माधाराम पि.सवाराम 7. भीखाराम पि. पांचाजी 8. मफतलाल पि. बबाजी 9. भबुताराम पि. बबाजी 10. मु. गैरीदेवी पत्नि बबाजी 11. मृतक नगा पुत्र पांचाजी के कायम मुकाम वारिसानः– 11/1. संजयकुमार 11/2. सुरेशकुमार 11/3. विजयकुमार 11/4. बिटु 11/5. आशा 11/6. सोनल 11/7. पिंकी 11/8. हंसादेवी जातियान मेधववाल निवासीयान आजोदर तहसील रानीवाडा 12. गीतादेवी पत्नि भुरा 13. सुरेश पि. जयन्ति 14. शैलेष पि. जयन्ति 15. नरेश पि. जयन्ति 16. तरूणा पि. जयन्ति 17. आरती पि. जयन्ति 18. मधबेन पत्नि जयन्ति 19. तलकाराम पि. रूपा 20. जोईताराम पि. रूपा 21. गीता पुत्री सवा कौम मेघवाल निवासीयान आजोदर तहसील रानीवाडा 22. भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा 23. उप पंजीयक रानीवाडा 24. हल्का पटवारी, पटवार हल्का आजोदर 25. जालोर सहकारी भूमि विकास बैक लि. शाखा रानीवाडा जरिये सचिव

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:57:06 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा [illegible] धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1[illegible]

उपस्थिति :–

1. वादी के अधिवक्ता श्री जानु मेघवाल उपस्थित ।
2. प्रतिवादी संख्या 22 राज पैरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

–: निर्णय :–

दिनांक 09.06.2022

1. वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी सामलाती आराजी पुराने खसरा नबंर 39 रकबा 21 बीधा 15 बिस्वा, खसरा नबंर 510 रकबा 21 बीधा 15 बिस्वा, खसरा नबंर 117 रकबा 5 बीधा 15 बिस्वा, खसरा नबंर 118 रकबा 5 बीधा 15 बिस्वा कुल 54 बीधा 10 बिस्वा की आराजी सरहद मौजा आजोदर तहसील रानीवाडा जिला जालोर में आई हुई है। जिसकी खातेदारी पांचीया व डुंगरा पिसरान उमा कौम भांबी साकिन देह पंचायतदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। खातेदार डुंगराराम वादी का दादा व प्रतिवादी गण संख्या 1 के पिता खातेदार डुंगराराम का 1/2 हिस्सा बनता है। उक्त आराजी पुराने खसरा नबंर 39 रकबा 21 बीधा 15 बिस्वा, खसरा नबंर 510 रकबा 21 बीधा 15 बिस्वा, खसरा नबंर 117 रकबा 5 बीधा 15 बिस्वा, खसरा नबंर 118 रकबा 5 बीधा 15 बिस्वा कुल 54 बीधा 10 बिस्वा जिसके द्वितीय बंदोबस्त के दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा नये खसरा नबंर खसरा नबंर 64 रकबा 1.90 हैक्टर, खसरा नबंर 65 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नबंर 66 रकबा 1.55 हैक्टर, खसरा नबंर 619 रकबा 0.79 हैक्टर, खसरा नबंर 620 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा नबंर 621 रकबा 0.51 हैक्टर, खसरा नबंर 628 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नबंर 629 रकबा 0.02 हैक्टर एवं खसरा नबंर 1341 रकबा 3.51 हैक्टर सृजित किये गये।

इस प्रकार उक्त विवादित आराजी नये खसरा नबंर 64 रकबा 1.90 हैक्टर, खसरा नबंर 65 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नबंर 66 रकबा 1.55 हैक्टर, खसरा नबंर 619 रकबा 0.79 हैक्टर, खसरा नबंर 620 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा नबंर 621 रकबा 0.51 हैक्टर, खसरा नबंर 628 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नबंर 629 रकबा 0.02 हैक्टर एवं खसरा नबंर 1341 रकबा 3.51 हैक्टर में वादी के दादा व प्रतिवादीगण संख्या 1 के पिता डुंगरा का 1/2 हिस्सा बनता था, जिसमें वादी के पिता प्रतिवादीगण संख्या 1 का 1/6 हिस्सा पुशतैनी होने से वादी का वादी के पिता के नाम की पुश्तैनी आराजी में से 1/12 हिस्सा पुश्तैनी नोशनल बनता है। अतः वादीगण उपरोक्त पुश्तैनी आराजी में अपने नोशनल शेयर हिस्से की आराजी की खातेदारी हको की धोषणा करवाने का अधिकारी है।

उक्त विवादित आराजी में वादी के दादा व प्रतिवादीगण संख्या 1 के पिता डुंगराराम का 1/12 हिस्सा बनता था तथा वादी के दादा की तीन संताने होने से प्रतिवादीगण संख्या 1 वादी के पिता को वादी में दादा की आराजी में नोशनल शेयर के अनुसार 1/6 हिस्सा बनता था तथा वादी प्रतिवादीगण संख्या 1 की तीन पुत्रीया होने से प्रतिवादीगण संख्या 1 की आराजी में नोशनल शेयर के अनुसार उक्त आराजी में वादी का 1/12 हिस्सा बनता है। वादी के पिता प्रतिवादीगण संख्या 1 उपने नाम खातेदारी दर्ज होने का गलत फायदा उठाते हुये उक्त विवादीत आराजी को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को बैचान कर दिया। वादी के पिता प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से से अधिक आराजी का बैचान प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को कर वादी को अपने नोशनल शेयर के हिस्से से वंचि[illegible] विरूद्ध अन्तरण के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वादी को अपने नोश[illegible] के हिस्से के भौतिक कब्जे से लाठी के बल पर से अधिक अन्तरण प्रतिवादी सं[illegible] 2 व 3 को कर देने से वादी के जीवन में भयंकर संकट पैदा हो[illegible] आराजी के भौतिक कब्जे व काश्त को लेकर मौके पर भयंकर तनाजा व अ[illegible]ति पैदा हो जायेगी तथा वादी के हिस्से की आराजी के कब्जे काश्त व शांति पुर्वक उपयोग व उपभोग में बाधा एवं दखल

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:57:06 IST
Reason: SelfAttested

अंदाजी उत्पन्न होगी तथा वाद की बहुल्यता एवं मुकदमें बाजी बढेगी। जिसमें वादी को भयकंर क्षति होगी। जिसे रोका जाने हेतु प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना न्याय हित में आवश्यक है।

2. विनायवाद सर्वप्रथम उस समय पैदा हुआ जब वादी के पिता प्रतिवादीगण संख्या 1 ने वादी के नोशनल शेयर के हिस्से की उक्त विवादित की आराजी को दिनांक 26.8.2004 में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को बैचान कर दिया तत्पश्चात उस समय पैदा हुआ जब आज से दो माह पूर्व जब वादी अपने हिस्से की आराजी की देखभाल कर रहे थे, तो प्रतिवादी संख्या 2 व 3 आये तथा वादी को कहा कि उक्त विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने वादी के पिता प्रतिवादीगण संख्या 1 से जरिये बैचान दस्तावेज खरीद कर ली है। वादी इस आराजी से अपना कब्जा खाली कर बाहर चले जाओं, नही तो वादी को लाठी के बल पर आराजी से बेदखल कर देंगे तो वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को हाथाजोडी कर कहा कि उक्त आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 जो वादी के पिता है को वादी के हिस्से की आराजी का बैचान करने का कोई अधिकार नहीं है, तब प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने वादी को एलानीयां धमकी दी की तुम्हें इस आराजी से बैलखल कर देगे। तथा उक्त आराजी को आगे किसी अन्य को बैचान कर देंगे। तत्पश्चात वादकारण निरन्तर जारी है।

3. वादी इस्तदुआ है कि मौजा आजोदर तहसील रानीवाडा के नवीन खसरा नबंर खसरा नबंर 64 रकबा 1.90 हैक्टर, खसरा नबंर 65 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नबंर 66 रकबा 1.55 हैक्टर, खसरा नबंर 619 रकबा 0.79 हैक्टर, खसरा नबंर 620 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा नबंर 621 रकबा 0.51 हैक्टर, खसरा नबंर 628 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नबंर 629 रकबा 0.02 हैक्टर एवं खसरा नबंर 1341 रकबा 3.51 हैक्टर में से वादी के पिता प्रतिवादीगण संख्या 1 के हिस्से 1/6 में से प्रत्येक वादी का 1/12–1/12 हिस्सा अर्थात वादी का कुल 1/12 हिस्सा संपुर्ण आराजी में से वादी का 1/12 जो हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत नोशनल शेयर की आराजी बनती है, पर निर्बाध रूप से कब्जा काश्त वादी का चला आ रहा होने से खातेदारी हको की धोषणा बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादी संख्या 2 व 3 सादीर फरमावें। इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हेतु तहसीलदार रानीवाडा पर तहरीर जारी करावें। स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी बर खिलाफ प्रतिवादी संख्या 2 व 3 फरमाई जावे कि मौजा आजोदर तहसील रानीवाडा के उपरोक्त मुतदाविया आराजी में से वादी को उनके नोशनल शेयर की आराजी के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग एवं कब्जा काश्त में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 दखलन्दाजी नही तो स्वयं करे तथा ना ही किसी अन्य से कोई दखलन्दाजी करावें।

4. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 1 से 21 व 23 से 25 की ओर से बाद तामिल समन कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 22 भूमिधारी तहसीलदार द्वारा लम्बे समय बाद जवाब पेश नहीं करने पर इनका जवाब बंद किया गया।

5. वादी ने अपने साक्ष्य सबूत में दस्तावेज प्रस्तुत किये। जो प्रथम मिसल बन्दोबस्त विक्रम सवंत 2010–29 पेश की जो प्रदर्श–1 है, मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–2 है, खाता संख्या 110 की जमाबंदी सवंत 2070–73 जो प्रदर्श–3 है, खसरा 1341 की जमाबंदी सवंत 2070–73 जो प्रदर्श–4 है, खाता संख्या 24[illegible] की जमाबंदी सवंत प्रदर्श–5 है, उक्त खसरान की जमाबंदी सवंत 2058–61 जो प्रदर्श–6 है, खाता संख्या 63 की खतौनी बन्दोबस्त प्रथम सवंत 2010–2029 जो प्रदर्श–7 है, बैचान दस्तावेज खातेदारी हक पूनमा से लवगोदेवी व कसुम्बीदेवी जो प्रदर्श–8 आदि दस्तावेज पेश किये गए। जो प्रतिवादीगण द्वारा कोई दस्तावेज साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:57:06 IST
Reason: SelfAttested

6. वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र एवं प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य दस्तावेज के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर एक्सप्लेन की गयी।
7. वादी वकील द्वारा वादी बाबूराम की साक्ष्य करवाई गई। प्रतिवादी की ओर कोई उपस्थित नहीं होने से जिरह शून्य की गई। व प्रतिवादी संख्या 22 द्वारा साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर साक्ष्य बंद की गई।
8. हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। तथा वादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस तथ्यों पर मनन किया। अतः तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है –

तनकी संख्या –1

विवादीत आराजी मौजा आजोदर के खसरा नम्बर 64, 65, 66, 619, 620, 621, 628, 629, 1341 रकबा क्रमश 1.90, 0.09, 1.55, 0.79, 0.52, 0.51, 0.01, 0.02, 3.51 हेक्टेयर आराजी में से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से 1/6 में से वादी का 1/12 हिस्सा अर्थात वादी का कुल 1/12 हिस्सा सम्पूर्ण आराजी में से हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत नोशनल शेयर की आराजी होने खातेदारी घोषणा करवाने का वादी अधिकारी है। इस संबंध में वादी के वादपत्र के आधार पर एवं वादी के साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू 1 बाबुराम द्वारा प्रस्तत किया जिस पर हस्ताक्षर ए से बी मेरे है। प्रस्तुत प्रथम सेटलमेंट की खतौनी बन्दोबस्त प्रदर्श–1 में पांचा व डूंगरा पिसरान उमा कौम भांबी सा. देह पसायतेदार के नाम दर्ज है। भू–प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2 प्रस्तुत किया। जमाबंदी मौजा आजोदर सवंत 2070–2073 खाता संख्या 110 प्रदर्श–3 प्रस्तुत किया। इसी ग्राम की जमाबंदी खाता संख्या 241 प्रदर्श–4 प्रस्तुत किया। जमाबंदी खाता संख्या 240 प्रदर्श 5 प्रस्तुत किया। जमाबंदी सवंत 2058 से 2061 की प्रदर्श 6 प्रस्तुत किया। प्रथम खतौनी बन्दोबस्त सवंत 2009–2029 प्रदर्श 7 प्रस्तुत किया। बैचान दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 8 प्रस्तुत किया। जिसमें पुनमा पुत्र डूंगरीया जाति मेगवंशी सा. आजोदर ने बहक कसुम्बीदेवी जोजे भीखा जाति मेगवाल व श्रीमति लवगोदेवी पत्नि सवाराम मेगवाल सा0 आजोदर को दिनांक 25.09.2004 को अपना सम्पूर्ण हिस्सा बेचान किया गया। वादी बाबूराम ने अपने पिता पूनमा द्वारा पूश्तैनी आराजी का सम्पूर्ण बैचान करने का अधिकार नही होने से मैने मेरे हिस्से की आराजी हेतु बाद प्रस्तुत किया है।

वादी बाबुराम पुत्र पूनमा मेगवाल सा0 आजोदर द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है। वादी ने वाद पत्र में वंशावली अंकित की है, जिसमें पूनमा का बेटा बाबुराम दर्शाया है। बाबुराम अपने को पूनमा का पूत्र बताकर वादी बता रहा है। परन्तु बाबुराम ने पूनमा का पुत्र होने का वाद में किसी प्रकार साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है तथा नही बाबुराम ने अपनी उम्र वाद पत्र में दर्शाई है, बाबुराम ने वंशावली में अपना नाम ही अंकित किया है जबकि वाद पत्र के पैरा संख्या 5 में 5 वी लाईन में ''प्रतिवादी संख्या 1 की तीन पुत्रीया होने से प्रतिवादी संख्या 1 की आराजी में नोशनल शेयर के अनुसार उक्त आराजी में वादी का 1/12 हिस्सा बनता है।'' उक्त तीन पूनमा की पुत्रीया का वंशावली में नाम ही अंकित नही है, ओर न ही वादी या प्रतिवादी पक्ष में उनका नाम अंकित किया है। इसी वाद पत्र की द्वितीय प्रति में इसी पैरा संख्या 5 में लाईन 5 वी में तीन पुत्रीया को काट कर इकलौता पुत्र अंकित है। इस प्रकार वादी स्वयं को पुनमा का पुत्र होना किसी दस्तावेज से साबित करने में असफल रहा है तथा वाद पत्र अनुसार पूनमा की तीन पुत्रीया वाद पत्र के पैरा संख्या 5 में अंकित है, जबकि वंशावली में अंकित नही होने से वादी के पक्ष में पूनमा के हिस्से की सम्पूर्ण आराजी में से 1/12 हिस्सा घोषित करानें में असफल रहा है। क्योंकि वंशावली में सिर्फ वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:57:06 IST
Reason: Self Attested

बाबुराम अंकित है। प्रदर्श 8 बेचान दस्तावेज दिनांक 25.09.2004 को पंजीयन हुआ है। बेचान दस्तावेज को खारीज कराने हेतु भी सिविल न्यायालय में कोई कार्यवाही करना रेकर्ड अनुसार नही पाया गया। इस प्रकार वादी बाबुराम स्पष्ट साक्ष्य दस्तावेज से पूनमा का इकलौता पुत्र होना साबित कराने में पूर्ण रूप से असफल रहने से तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2

तनकी संख्या 1 के उपयूक्त विवेचन के आधार पर वादी के विरूद्व साबित होने से यह तनकी भी वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

अतः उपर्यूक्त तनकीयात के विवेचन के आधार पर वादी का वाद अस्वीकार योग्य है।

–: आदेश :–

9. वादी द्वारा मौजा आजोदर की वादग्रस्त आराजी का प्रस्तुत वाद तनकी संख्या 1 व 2 वादी के विरूद्व निर्णित होने से वादी का वाद अस्वीकार किया जाता है। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाशचन्द अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा

निर्णय आज दिनांक 09.06.2022 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:57:06 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix “D”-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

वादी		प्रतिवादीगण
बाबुराम पि. पुनमा जाति मेघवाल निवासी आजोदर तहसील रानीवाडा जिला जालोर	**बनाम**	1. श्री पुनमा पुत्र डुंगरा 2. श्रीमति कसुंबीदेवी पत्नि भीखाराम 3. श्रीमति लवगों पत्नि सवाराम जातियान मेधववाल निवासीयान आजोदर तहसील रानीवाडा 4. भुदराराम पिता सवाराम 5. देवाराम पि.सवाराम 6. माधाराम पि.सवाराम 7. भीखाराम पि. पांचाजी 8. मफतलाल पि. बबाजी 9. भबुताराम पि. बबाजी 10. मु. गैरीदेवी पत्नि बबाजी 11. मृतक नगा पुत्र पांचाजी के कायम मुकाम वारिसानः– 11/1. संजयकुमार 11/2. सुरेशकुमार 11/3. विजयकुमार 11/4. बिटु 11/5. आशा 11/6. सोनल 11/7. पिंकी 11/8. हंसादेवी जातियान मेधववाल निवासीयान आजोदर तहसील रानीवाडा 12. गीतादेवी पत्नि भुरा 13. सुरेश पि. जयन्ति 14. शैलेष पि. जयन्ति 15. नरेश पि. जयन्ति 16. तरूणा पि. जयन्ति 17. आरती पि. जयन्ति 18. मधबेन पत्नि जयन्ति 19. तलकाराम पि. रूपा 20. जोईताराम पि. रूपा 21. गीता पुत्री सवा कौम मेघवाल निवासीयान आजोदर तहसील रानीवाडा 22. भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा 23. उप पंजीयक रानीवाडा 24. हल्का पटवारी, पटवार हल्का आजोदर 25. जालोर सहकारी भूमि विकास बैक लि. शाखा रानीवाडा जरिये सचिव

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:57:06 IST
Reason: SelfAttested

अन्तर्गत धारा 88,188 राज0 [illegible] अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 09 [illegible] 17

यह मुकदमा आज इनफिसाल [illegible] व हाजरी वादी की ओर से वकील श्री जानु मेघवाल उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 1 से 21 व 23 से 25 के विरूद्ध अनुपस्थित रहने से एक पक्षकीय कार्यवाही होने से अनुपस्थित। मनजानिव मुद्रायलह पेश

होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी द्वारा मौजा आजोदर की वादग्रस्त आराजी का प्रस्तुत वाद तनकी संख्या 1 व 2 वादी के विरूद्व निर्णित होने से वादी का वाद अस्वीकार किया जाता है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाति है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 09.06.2022 को जारी की गई।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	4	00	स्टाम्प वकालतनामा	3	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	1	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीष्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	5	00	मौजाना	4	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:57:06 IST
Reason: SelfAttested